रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 1970/ज्येष्ठ 7, 1892

No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 1970/JYAISTHA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th May, 1970

No. 5(17)/70-A. E. Ind. (I).—Since about 1957 Government had been exercising informal control over the prices of the three passenger cars namely, Ambassador, Fiat and Standard and the manufacturers of these three cars accepted that control. In May, 1966, in response to requests by these manufacturers for price increases, Government requested the Tariff Commission, under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to undertake an enquiry into, *inter alia*, the cost structure and the fair selling prices of these three passenger cars and to make suitable recommendations in that behalf. While the recommendations of the Tariff Commission were under examination, one of the three manufacturers of passenger cars increased the price of their car by a substantial amount and another gave notice of their intention to do so. To meet this situation and to ensure availability of passenger cars at fair prices, Government, after consideration of the recommendations of the Tariff Commission and taking into account the relevant factors subsequent to the receipt of the said recommendations, determined the fair prices at which the said three passenger cars should be bought and sold and notified such prices by an Order under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 on 21st September 1969. This Order was challenged by, *inter alia*, the said three car manufacturers in Writ Petitions before the Supreme

Court. The Supreme Court, after hearing the Writ Petitions for several days, recommended to Government on the 6th May, 1970 as follows:—

> "We recommend to the Government for a Commission to be appointed for the purpose or recommending fair price for all the three cars, *viz.* Fiat, Ambassador and Standard Herald. The Commission, we recommend, should consist of a Judge, sitting or retired of a High Court, or a retired Judge of the Supreme Court, as the Chairman and two other members, a Chartered Accountant and the other an Automobile Engineer. The Commission will be at liberty to obtain the assistance of other persons including experts in cost accounting. The report should be submitted within four months from the date on which the Commission is constituted. The Commission will be entitled to take into consideration all matters relevant to the determination of fair price.....The Commission will be entitled to draw up its own procedure....."

2. In pursuance of the recommendations of the Supreme Court, Government have decided to appoint a Commission for the purpose of recommending fair selling prices for the said three passenger cars, namely, Ambassador, Fiat and Standard. The Commission will consist of the following:—

(i) Justice Sarjoo Prasad Singh, Retired Judge of the Patna High Court—*Chairman.*

(ii) Shri R. K. Khanna, Chartered Accountant—Member.

(iii) Brig. V. Minas, Director of Inspection (Vehicle) Department of Defence Production—*Member.*

Shri R. K. Tikku, Deputy Secretary, Department of Industrial Development, will function as the Secretary of the Commission.

3. In recommending fair selling prices of cars, the Commission will take into account all matters relevant to the determination of fair prices.

4. The Commission will be at liberty to obtain the assistance of other persons including experts in Cost Accounting.

5. The Commission will be entitled to lay down its own procedure.

6. The Commission will submit its Report within four months from the date of its constitution.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. V. SUBRAHMANIAN, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 मई, 1970

संख्या 5(17)/70—ए०ई०आई० (1).—1957 के सरकार एम्बसेडर, फियेट तथा स्टेंडर्ड तीनों सवारी गाड़ियों के मूल्य पर अनौपचारिक नियंत्रण करती रही है और इन कारों के उत्पादकों ने उस नियंत्रण को माना है। मई, 1966 में इन उत्पादकों के अनुरोध पर सरकार ने प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951, के खण्ड 12(घ) के अन्तर्गत प्रशुल्क आयोग को अन्य वस्तुओं के साथ-साथ इन तीनों कारों की लागत ढांचे की जांच करने तथा इन कारों के उचित विक्रय मूल्य के बारे में समुचित सिफारिशें करने के लिए निवेदन किया था। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन ही थीं कि

इन उत्पादकों में से एक ने अपनी कार के विक्रय मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर दी और दूसरे ने सरकार को ऐसा करने के अपने इरादे से सूचित किया। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए कारों की समुचित विक्रय मूल्य पर उपलब्धि को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा इन सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद के संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य का निर्धारण किया जिस पर उक्त तीनों सवारी कारें खरीदी या बेची जानी चाहिए। इन मूल्यों को 21 सितम्बर, 1969 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के खण्ड 18(छ) के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया। इस आदेश को उक्त तीनों कार निर्माताओं द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कई दिनों तक याचिका की सुनवाई करने के पश्चात् 6 मई, 1970 को सरकार से निम्नलिखित सिफारिश की थी:—

> "हम सरकार से सिफारिश करते हैं कि तीनों ही प्रकार की कारों अर्थात् फिएट, एम्बेसेडर तथा स्टेंडर्ड हेरास्ड के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाय। हम सिफारिश करते हैं कि इस आयोग का अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो, जो उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवामुक्त न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हो तथा आयोग में दो अन्य सदस्य हों—जिनमें से एक चार्टर्ड एकाऊन्टेंट तथा दूसरा आटोमोबाइल इंजीनियर हो। आयोग लागत लेखाकार विशेषज्ञ सहित किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगा। आयोग के गठन की तारीख से चार मास के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आयोग को उचित मूल्य निर्धारित करने से संबंधित सभी संबद्ध मामलों पर विचार करने का अधिकार होगा—आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करने का हक होगा"।

2. उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने उक्त तीनों यात्री कारों—अर्थात् एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टेंडर्ड—के लिए उचित विक्रय मूल्यों की सिफारिश करने के प्रयोजन से एक आयोग की नियुक्ति करने का निश्चय किया है। आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. न्यायाधीश सरजू प्रसाद सिंह, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उच्च-न्यायालय — अध्यक्ष
2. श्री आर० के० खन्ना, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट — सदस्य
3. ब्रिगे० बी० मिनास, निरीक्षण निदेशक (मोटर गाड़ी), रक्षा उत्पादन विभाग — सदस्य

औद्योगिक विकास विभाग के उप-सचिव श्री आर० के० टिक्कू इस आयोग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. आयोग, कारों के उचित बिक्री मूल्य की सिफारिश करने के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगा।

4. आयोग को, लागत लेखा-विशेषज्ञ समेत अन्य व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी।

5. आयोग स्वयं अपनी कार्य-विधि तैयार करने में समर्थ होगा।

6. आयोग, गठन की तारीख से चार मास की अवधि के अन्दर ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० वी० सुब्रह्मनियन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970